न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
17/17/2019	26–04–2019	11–07–2019

1– हरदयाल सिंह पुत्र बसन्ता जाति अहीर निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर।

–प्रार्थी

बनाम

1– शेरसिंह पुत्र माडूराम
2– लक्ष्मीदेवी पत्नी शेरसिंह
3– कृष्णा देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल
4– हेमन्त कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल
5– पूनम पुत्री स्व0 बाबूलाल
6– सीमा पुत्री स्व0 बाबूलाल
7– मनीषा पुत्री स्व0 बाबूलाल जातियान अहीरान् निवासी ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर।

–असल अप्रार्थीगण

8– शांति देवी पत्नी स्व0 अमीलाल
9– उदयभान पुत्र स्व0 अमीलाल
10– राजबाला पुत्री स्व0 अमीलाल
11– नीलम पुत्री स्व0 अमीलाल
12– सुमन पुत्री स्व0 अमीलाल
13– विरेन्द्र पुत्र सम्पत
14– कमला पत्नी स्व0 महेन्द्र सिंह
15– प्रकाशचन्द पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह
16– सीता पुत्री स्व0 महेन्द्र सिंह
17– मनीषा पुत्री स्व0 महेन्द्र सिंह
18– बबली पुत्री स्व0 महेन्द्र सिंह
19– धर्मवीर पुत्र रूणीराम
20– सावत्री देवी पुत्री स्व0 रूणीराम
21– कमला देवी पुत्री स्व0 रूणीराम
22– कृष्णा देवी पुत्री स्व0 रूणीराम
23– शांति देवी पुत्री स्व0 रूणीराम
24– नीलम पुत्री स्व0 रूणीराम
25– मूर्ति देवी पत्नी स्व0 मातादीन
26– शिक्षा देवी पत्नी स्व0 सुरेन्द्र
27– दीपक पुत्र स्व0 सुरेन्द्र
28– ज्योति पुत्री स्व0 सुरेन्द्र
29– विरेन्द्र पुत्र स्व0 मातादीन
30– सरजीत पुत्र स्व0 मातादीन
31– रामरति पुत्री स्व0 मातादीन
32– रामकला पुत्री स्व0 मातादीन
33– सनेश पुत्री स्व0 मातादीन
34– बालादेवी पत्नी स्व0 महोदव पुत्र नाथा
35– रामानन्द पुत्र स्व0 महादेव पुत्र नाथा

P.T.O.

(2)

36– राजपाल पुत्र स्व0 महादेव पुत्र नाथा
37– तेजपाल पुत्र स्व0 महादेव पुत्र नाथा
38– सोमदत्त पुत्र स्व0 प्रताप पुत्र गोपाल
39– धर्मपाल पुत्र स्व0 प्रताप पुत्र गोपाल
40– बिमला देवी पुत्री स्व0 प्रताप पुत्र गोपाल
41– अमरसिंह पुत्र स्व0 गोपाल
42– सुबेसिंह पुत्र स्व0 दुर्गा दत्तक पुत्र श्रीराम
43– राजेन्द्र पुत्र स्व0 दुर्गा
44– अशोक पुत्र स्व0 दुर्गा
45– बिजेन्द्र पुत्र स्व0 दुर्गा
46– श्रीमति घीसी देवी पत्नी स्व0 दुर्गा
47– मनोहर पुत्र स्व0 हरचन्द जातियान अहीर निवासीयान ग्राम रोडवाल तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान।
48– लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नीमराना जिला अलवर

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः–

01. श्री कृष्ण कुमार –वकील प्रार्थी
02. श्री ब्रहमप्रकाश –वकील अप्रार्थी

––:: निर्णय ::––

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मुन्तकिल पेश कर उपखण्ड अधिकारी नीमराना के न्यायालय में विचाराधीन प्रा0पत्र 251क बअनुवानी शेरसिंह वगै0 बनाम शांतिदेवी वगै0 को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी प्राप्त की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि शेरसिंह वगै0 बनाम शांतिदेवी वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन है। रास्ता कायम करने हेतु प्रा0पत्र 251क विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकपक्षीय स्थगन ताफैसला दावा कन्फर्म किया हुआ है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 1350, 1351 में मिन प्रार्थी का हित निहित है तथा उक्त खसरा नम्बर में कभी भी कोई कदीमी रास्ता कायम नहीं रहा है। खसरा नम्बर 1350, 1351 शामलाती खाता है। जो मौके पर अबट है। चूंकि असल अप्रार्थी का खेत आराजी खसरा नम्बर 1338, 1346 है। जो आराजी खसरा नम्बर 1350, 1351 से लगता हुआ है। असल अप्रार्थी उक्त खसरा नम्बर में से जबरन आने जाने के लिये रास्ता कायम करना चाहता है। जिसका कानूनी अधिकार नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थीगणों के झूठे कथनों पर विश्वास कर रही है। पटवारी रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1350, 1351 में कदीमी रास्ता दर्ज नहीं है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय अप्रार्थीगण को नाजायज लाभ पहुंचाने को आमादा है। मिन प्रार्थी द्वारा असल अप्रार्थीगण को कई बार अधीनस्थ न्यायालय के चैम्बर में आते जाते देखा है। असल अप्रार्थी द्वारा खुले में ऐलान किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 1350, 1351 में से होकर रास्ता कायम करके रहेंगे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी उक्त मुकदमें में नजदीकी तारीख पेशी दी जा रही है। अधीनस्थ न्यायालय से प्रार्थी को न्याय की उम्मीद नहीं है। विचाराधीन प्रार्थनापत्र धारा 212 आरटीएक्ट केवल अप्रार्थीगण के कथनों पर विश्वास करते हुए एकपक्षीय स्थगन जारी किया हुआ है। जो बाद ताफैसला दावा कर दिया गया। अगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा को डिकी कर दिया गया तो असल अप्रार्थीगण खसरा नम्बर 1350, 1351 में कथित रास्ता कायम कराने का पुरा प्रयास करेंगे। जिससे प्रार्थी के अधिकारों का हनन होगा। अतः –

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

P.T.O.

अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण बउनवान शेरसिंह वगै0 बनाम शांतिदेवी वगै0 मु0नं. 16/2017 प्रा0पत्र 251क को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल फरमाया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरणों में विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों अनुसार सुनवाई की जा रही है। हमारा पीठासीन अधिकारी से कोई मेल–जोल नहीं है ना ही हमने पीठासीन अधिकारी के चैम्बर में बात की है। प्रार्थी ने प्रा0पत्र हम अप्रार्थीगण को मानसिक नुकसान पहुंचाने की नियत से किया है। प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट में अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया था। उक्त प्रा0पत्र ताफैसला फैसल नहीं किया गया है। मुकदमें को मुन्तकिल करने के लिये कोई युक्तियुक्त कारण नहीं दिया गया है। फिर भी यदि उक्त मुकदमें को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है।

हमनें पत्रावली एवं उभय–पक्ष अधिवक्ता द्वारा पेश दस्तावेजात एवं उपखण्ड अधिकारी नीमराना से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक उभय–पक्ष की बहस पर मनन किया। उपखण्ड अधिकारी नीमराना ने प्रार्थना पत्र के बिन्दूओं को स्वीकार/अस्वीकार करते हुऐं अपनी टिप्पणी में अंकित किया है कि पत्रावलियों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। प्रा0पत्र 212 आरटीएक्ट अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया था लेकिन प्रा0पत्र 212 को निर्णय नहीं किया गया है। पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये आरोप झूठे एवं मनगडंत है। फिर भी यदि न्यायालय उक्त विचाराधीन पत्रावली को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल करती है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। बहस के दौरान अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मुकदमें को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने में सहमति जाहिर की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराना में विचाराधीन प्रकरण उनवान शेरसिंह वगै0 बनाम शांतिदेवी वगै0 मु0नं. 16/2017 प्रा0पत्र 251क को न्यायालय बहरोड़ में मुन्तकिल किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी नीमराना तत्काल उक्त प्रकरण की पत्रावली न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को भिजवाना सुनिश्चित करें। उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में नियमानुसार विधिसम्मत् कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित् करें।

निर्णय की प्रति हर दो न्यायालय को पालनार्थ भेजी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)